यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र सं0 65/2022

आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय— तृतीय तल,जे.एस.ई.एल. बिल्डिंग मालवीय नगर, जयपुर जरिये प्रधिकृत अधिकारी श्री आशीष भनोत

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री गिर्राज प्रसाद विनोद कुमार (प्रोपराईटर विनोद कुमार अग्रवाल),
पता— अनाज मण्डी, मण्डावरी, तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान—303504
दूसरा पता— गणेश कालोनी, गॉव मण्डावारी, तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान— 303504
2. श्री विनोद कुमार अग्रवाल
पता— अनाज मण्डी, मण्डावरी, तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान—303504
दूसरा पता— गणेश कालोनी, गॉव मण्डावारी, तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान— 303504

.....अप्रार्थीगण (ऋणी/जमानतदार)

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 ऋणी/जमानतदार से बंधक संपत्ति का कब्जा दिलाये जाने के लिए

उपस्थिति : श्री महेश शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 05.08.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणी को 17,50,000/—(रूपये सत्रह लाख पचास हजार रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस [illegible] जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने [illegible] रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act 2002** की धारा 14 के तहत [illegible] किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:50:29 IST
Reason: SelfAttested

.....निरंतर 2 पर

पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति आवासीय पटटा संख्या 78, ग्राम मण्डावरी तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 150.00 वर्गगज है जो कि श्री विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र श्री चतुर्भुज अगवाल के नाम से है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 05.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:50:29 IST
Reason: SelfAttested